

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

राज्य \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
बनाम \_\_\_\_\_  
कदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुक्म \_\_\_\_\_ नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए \_\_\_\_\_

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21/4/24 - जिलाधीश महोदय द्वारा कोषित स्थानीय अवकाश होने के कारण पत्रावली दिनांक 05/04/2024 को पेश की

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।  
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली  
दिनांक 03/06/2024 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।  
दोरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली  
दिनांक 29/07/2024 को पेश हो।

~~श्री पत्रावली का पत्रावली पर ही जरी वादीगा  
की ओर से परसूत प्राप्ति पर का  
अवलोकन करने पर उचित होगा है कि  
वादीगा व प्रतिवादीगा के बीच समझौता  
साधित है वादीगा के जान के कारण  
वादी वाद से भाग नहीं चलना चाहते  
तु वाद से जर्मि विद्वल खाति करने  
का विवेक प्रिये गया वादी का वाद गति  
विद्वल खाति किया जाता है पत्रावली  
वाकिल पर ही है~~